रीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 मे अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान मे पेश हुई। प्रार्थीनी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 के वकील उपस्थित। मूल वाद के आदेशानुसार शेष विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील विप्रार्थी जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहते है। जो पूर्व मे पर्याप्त अवसर दिये गये है। लेकिन जबाव पेश नही दिया गया है,जो विप्रार्थी का जबाव बन्द किया जाता है। उभयपक्ष की आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण मे विवादित भूमि पर अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है,यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि में मौके की यथास्थिति मे फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीनी को हानि होनी की पुरी संभावना रहती है। और मजबे आम मे भी पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की ताईद हुई है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.07.2017 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner